राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 1319/2009/टोंक

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
घट–प्रथम, प्रतिकरापवंचन, वृत्त–पाली । .....अपीलार्थी.

बनाम्

मैसर्स भागचन्द लालचन्द जैन,
बी–5, मण्डी यार्ड, एच–61,
इण्डस्ट्रियल एरिया, टोंक। .....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ

श्री मदन लाल, सदस्य

उपस्थित : :

श्री अनिल पोखरणा,
उप–राजकीय अभिभाषक । .....अपीलार्थी की ओर से.

श्री दिनेश कुमार,
अभिभाषक । .....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 22.01.2015

निर्णय

1. अपीलार्थी सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट–प्रथम, प्रतिकरापवंचन, वृत्त–पाली व्यवहारी द्वारा उक्त अपील उपायुक्त वाणिज्यिक कर (अपील्स), कोटा (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) के द्वारा पारित आदेश दिनांक **24.03.2009** के विरूद्ध पेश की गयी है, जो अपील संख्या 17/वैट/2008–09 के संबंध में है तथा जिसमें अपीलार्थी ने सशक्त अधिकारी द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे ''अधिनियम'' कहा जायेगा) की धारा 76(6) के तहत् आरोपित की गयी शास्ति रू.**2,93,970/–** को अपीलीय अधिकारी द्वारा अपास्त किये जाने को विवादित किया गया है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, सीमावर्ती उड़नदस्ता, मंडार, सिरोही (जिसे आगे ''सशक्त अधिकारी'' कहा जायेगा) द्वारा दिनांक **29.11.2008** को वाहन संख्या आर.जे. 078/जी–7714 को गुजरात ओर जाते समय मंडारा डीसा रोड पर आर.टी. ओ. जांच चौकी, मंडार के समीप जांच हेतु रोका गया। परिवहनीत माल **''तिल बोरी 200 वनज 16035 किलोग्राम''**, के संबंध में दस्तावेज चाहने पर, वाहन चालक द्वारा दस्जतावेज वास्ते जांच प्रस्तुत किये गये। सशक्त अधिकारी ने प्रस्तुत जांच बाद यह अवधारित किया कि परिवहनीत माल राज्य के बाहर परिवहनीत किया जा रहा है अतः इसके संलग्न घोषणा प्ररूप वैट–49 माल संबंधी दस्तावेजों में संलग्न होना अनिवार्य है जिसके अभाव में, सशक्त अधिकारी ने अधिनियम की धारा 76(2) का उल्लंघन होना अवधारित कर, वाहन को निरूद्ध कर, प्रत्यर्थी व्यवहारी को अधिनियम की धारा

लगातार.....2

76(6) के तहत् शास्ति आरोपण हेतु नोटिस जारी किया। जारी नोटिस की पलाना में प्रत्यर्थी व्यवहारी/मालिक की ओर से श्री भागचन्द जैन ने उपस्थित होकर लिखित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर, **शासन सचिव (वित्त) के पत्र कमांक एफ.12(15) वित्त/कर/2008/पार्ट–3 दिनांक 30.08.08** के आलोक में, घोषणा प्ररूप वैट–49 को माल के संलग्न दस्तोवजों में बाध्यकारी नहीं होना प्रकट किया। परन्तु सशक्त अधिकारी द्वारा प्रस्तुत जवाब व शासन सचिव के उपर्युक्त वर्णित पत्र की भिन्न व्याख्या कर, प्रस्तुत जवाब को अस्वीकार कर, अधिनियम की धारा 76(6) के तहत् शास्ति आरोपित कर, आदेश पारित किया। उक्त पारित आदेश के विरूद्ध प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर अपीलीय अधिकारी द्वारा अपील स्वीकार कर ली गयी । जिसे इस अपील में चुनौती दी गयी है ।

3. उभयपक्षीय बहस सुनी गयी ।

4. अपीलार्थी की ओर से विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक द्वारा उपस्थित होकर सशक्त अधिकारी द्वारा पारित शास्ति आदेश का समर्थन कर, कथन किया कि अधिनियम की धारा 76(2)(बी) के प्रावधान स्पष्ट करते हैं कि **वक्त जांच बिल, बिल्टी व घोषणा प्ररूप वैट–47 प्रस्तुत करना बाध्यकारी है।** अतः ऐसी स्थिति में, माननीय शीर्ष न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत गुलजग इण्डस्ट्रीज़ 18 **टैक्स अपडेट 321** में प्रतिपादित सिद्धांतों के आलोक में, अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश को अविधिक होने का कथन कर, सशक्त अधिकारी द्वारा पारित शास्ति आदेश की पुष्टि कर, अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार करने की प्रार्थना की गयी ।

5. प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने उपस्थित होकर प्रारम्भिक आपत्ति उठायी है कि आरोपित शास्ति अनुचित एवम् अविधिक है जैसा कि शासन सचिव वित्त(राजस्व) के द्वारा जरिये आदेश दिनांक **एफ.12(15) वित्त/कर/2008/पार्ट–3 दिनांक 30.08.08** के द्वारा इस संबंध में निर्देशित किया गया है कि राज्य सरकार द्वारा गठित कमेटी द्वारा अपने सुझाव प्रस्तुत करने तथा राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में निर्णय लेने तक ऐसी वस्तुओं के अन्तर्राज्यीय परिवहन के दौरान फार्म–47 एवम् फार्म–49 साथ में नहीं होने पर भी शास्ति आरोपित नहीं की जाये । इस संबंध में उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार द्वारा उक्त जारी निर्देश जो जांच तिथि तक "वापस" नहीं लिये गये थे, राजस्व पर "बाध्यकारी" है । तर्क दिया कि उक्त निर्देशों की प्रकाशित प्रति सशक्त अधिकारी को भी प्रस्तुत की गयी थी परन्तु सशक्त अधिकारी ने राज्य सरकार के निर्देशों की परवाह किये बिना इसका भिन्न आशय होना अवधारित कर, घोषणा प्ररूप वैट–47 को माल संबंधी दस्तावेजों में संलग्न

लगातार.....3

की पुष्टि कर, अपीलार्थी की अपील अस्वीकार करने की प्रार्थना की गयी । अपने कथन के समर्थन में कर बोर्ड की समन्वय पीठ (खण्डपीठ) के **अपील क्रमांक 2586/2011/हनुमानगढ़ स.वा.क.अ., घट—प्रथम, वृत्त—बी, श्रीगंगानगर बनाम् मैसर्स लक्ष्मणदास सुरेन्द्र कुमार, हनुमानगढ़ (2014) 10 आरजीएसटीआर 106 निर्णय दिनांक 21.04.2014 व कर बोर्ड की समन्वय पीठ (एकलपीठ) के अपील क्रमांक 1345/2009/अलवर निर्णय दिनांक 23.11.2011 व माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत एस.बी.सेल्स टैक्स रिवीजन पिटीशन क्रमांक 3/2011 निर्णय दिनांक 27.04.2013 को प्रोद्धिरत किया गया** ।

6. उभयपक्षीय बहस पर मनन किया गया । रिकॉर्ड का परिशीलन किया गया । रिकॉर्ड के परिशीलन से विदित होता है कि इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देश दिनांक **30.08.2008, जो 20.सी.टी.एन ब—89 (9)** पर प्रकाशित है, परन्तु उक्त निर्देशों की अनदेखी कर, सशक्त अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 76(6) के तहत् शास्ति राज्य सरकार के निर्देशों की मनमर्जी से व्याख्या कर, शास्ति आरोपित कर, आदेश पारित किया गया है, जो अनुचित एवम् अविधिक है क्योंकि माननीय न्यायालयों का निरंतर यह मत रहा है कि इस प्रकार के निर्देश, जो जारी किये गये हैं वे "राजस्व" पर बाध्यकारी है । इस संबंध में उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार द्वारा उक्त जारी निर्देशों को जरिये पत्रांक **एफ.12(15) वित्त/कर/2008/पार्ट—III दिनांक 27.02.09 के वापस लिया गया है,** अतः राज्य सरकार के **उक्त निर्देश जांच तिथि दिनांक 29.11.2008** में प्रचलित रहने के कारण, आरोपित शास्ति अनुचित एवम् अविधिक है जिसे अपास्त करने में अपीलीय अधिकारी द्वारा कोई विधिक त्रुटि नहीं की गयी है। अतः अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश की पुष्टि की जाकर, सशक्त अधिकारी द्वारा आरोपित शास्ति अपास्त की जाकर, अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है ।

7. परिणामतः, अपील अस्वीकार की जाती है ।

8. निर्णय प्रसारित किया गया।

22.1.2015

(मदन लाल)
सदस्य